न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 11/2019

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
फूसाराम पुत्र तिलाराम जाति मेघवाल निवासी शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर पूर्व उचित मूल्य दुकानदार शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.10.2018 जो सरकार बनाम फूसाराम के प्रकरण सं. 63/2018 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पूंजराज बामणिया, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30/10/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 63/2018 सरकार बनाम फूसाराम मे पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक गिड़ा श्री जियाराम द्वारा दिनांक 29.05.2018 को अपीलार्थी फूसाराम की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर नहीं मिला तथा उसका भाई हुकमाराम उपस्थित हुआ जिसकी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति मे निरीक्षण किया गया। मौके पर दुकान पर स्टॉक रजिस्टर व बिल/वाउचर आदि जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराये गये। शिकायतकर्ता नखताराम व केहराराम के राशनकार्ड मे माह मार्च का ट्रांजेक्शन करने के बावजूद राशन उपलब्ध नहीं होने की शिकायत सही पाई गई। अन्य उपभोक्ताओं ने डीलर द्वारा गत छः माह से केरोसीन एवं चीनी उपलब्ध नहीं करवाने की शिकायत जांच मे सही पाई गई। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 27.06.2018 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.09.2018 पर प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2018 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.03.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा करने एवं अपील अन्दर मयाद सम्मिलित करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय जारी कर अपीलार्थी के नाम ग्राम शहर हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच मे अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से रसद सामग्री वितरण मे अनियमितता बाबत ग्रामवासियों से किसी प्रकार की कोई शिकायत नही थी तथा प्राधिकार पत्र जारी करने से लगातार उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे कार्य सन्तोषप्रद रहा है। अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप से उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया गया है, जिसका स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर इत्यादि पूर्ण है। उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे अपीलार्थी की सेवा मे कभी कोई कमी नही रही है तथा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक गिड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मे पाया गया कि मौके पर वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर अपीलार्थी हाजिर नहीं मिला तथा अपीलार्थी के भाई की उपस्थिति मे निरीक्षण किया गया। अपीलार्थी वक्त निरीक्षण आवश्यक घरेलू कार्य से बाहर गया हुआ था तथा वापिस आने पर प्रवर्तन निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर समस्त रेकर्ड प्रस्तुत कर दिया गया था। राजनैतिक द्वैषता से कुछ विरोधियों द्वारा झूठी एवं मनगढ़त शिकायत अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक गिड़ा द्वारा की गई जांच में कोई रेकर्ड की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। इसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे उसके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश दिनांक 31.10.2018 को पारित किया गया है जिसकी जानकारी होने से अन्दर मयाद यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक गिड़ा द्वारा जांच की गई। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी स्वंय मौके पर जानबूझकर उपस्थित नहीं

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुआ। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर, बिल/वाउचर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये। उपभोक्ताओं द्वारा मौके पर प्रस्तुत शिकायत दस्तावेजों यथा राशनकार्ड की जांच मे शिकायत की पुष्टि हुई है। इस पर विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की भार्त सं. 9,11,14 एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट के प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताऐं बरती जाने की शिकायत प्राप्त होने पर अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक को मौके पर भेजा गया। वक्त निरीक्षण शिकायतकर्तागण मौके पर उपस्थित रहे तथा शिकायत में वर्णित तथ्यों के समर्थन मे राशनकार्ड इत्यादि प्रस्तुत किये एवं बयान दर्ज करवाये गये। अपीलांट वक्त निरीक्षण स्वंय मौके पर उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही उचित मूल्य दुकान में स्टॉक रजिस्टर, बिल/वाउचर इत्यादि दस्तावेज निरीक्षणकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किये गये। इस पर जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट अधिनस्थ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर शिकायत के तथ्य प्रमाणित पाये जाने एवं अपीलांट द्वारा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने से उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाने की अनुशंषा की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा इस नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रकट किया कि वह वक्त निरीक्षण अपने घरेलु कार्य से बाहर गया हुआ था किन्तु उचित मूल्य दुकान खुली थी जिसका निरीक्षण करने पर कोई अनियमितताऐं नहीं पाई गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब संतोषजनक नहीं मानते हुए उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 9,11,14 एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में उक्त शर्तों का उल्लंघन नही होने का कोई ठोस एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं, लिहाजा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल कारित होना नहीं पाया जाता हैं तथा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य प्रतीत होती हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेशण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता हैं।

8. आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर